संख्या-862/18-4-2023

प्रेषक,

दयाराम यादव
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक उद्योग,
उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय उ0प्र0
कानपुर।

सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-4 लखनऊः दिनांकः 04 अक्टूबर, 2023

विषय- लघु उद्योग क्लस्टर विकास योजनान्तर्गत औद्योगिक आस्थान, कोंच, जनपद जालौन की परियोजना के उच्चीकरण कार्य हेतु अवशेष निर्धारित/संशोधित राज्यांश की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संयुक्त आयुक्त उद्योग, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, उ0प्र0, कानपुर के पत्र संख्या-220/क्लस्टर-12/आई0डी0/औ0आ0 कोंच/जालौन-51/2023-24, दिनांक 05-09-2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एम0एस0ई0-सी0डी0पी0 क्लस्टर विकास योजनान्तर्गत भारत सरकार के पत्र संख्या-1(1311)/सीडीडी/अपग्रेड/जालौन/2020-21, दिनांक 21-10-2022 में प्राप्त स्वीकृति एवं दिशा-निर्देशानुसार औद्योगिक आस्थान, कोंच जालौन की परियोजना के उच्चीकरण कार्य हेतु कुल लागत रू0 696.14 लाख (केन्द्रांश रू0 448.40 लाख, राज्यांश रू0 247.74 लाख) निर्धारित है। उक्त निर्धारित राज्यांश की धनराशि रू0 247.74 लाख में से रू0 200.00 लाख की धनराशि प्रथम किश्त के रूप में शासनादेश संख्या-270/18-4-2023, दिनांक 15-3-2023 द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय व्ययक में अनुदान सं0-3 के अंतर्गत लघु उद्योग क्लस्टर विकास योजना के क्रियान्वयन हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष निर्गत की गयी थी। तदनन्तर प्रश्नगत परियोजना लागत की जी0एस0टी0 दर 12 प्रतिशत से बढकर 18 प्रतिशत प्रभावी हो जाने के फलस्वरूप परियोजना लागत रू0 36.99 लाख बढ गयी। उक्त बढी हुई परियोजना लागत के संबंध में दिनांक 15.03.2023 को सम्पन्न एस0एल0एस0सी0 की बैठक में प्राप्त अनुमोदनोपरान्त उक्त राज्यांश की धनराशि संशोधित होकर अब रू0 284.73 लाख हो गयी है। अतएव वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय व्ययक में अनुदान सं0-3 के अंतर्गत लघु उद्योग क्लस्टर विकास योजना के क्रियान्वयन हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 5000.00 लाख के सापेक्ष उक्तानुसार निर्धारित/संशोधित राज्यांश की धनराशि रू0 284.73 लाख में से उक्त शासनादेश दिनांक 15.03.2023 द्वारा प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि रू0 200.00 लाख को घटाते हुए द्वितीय/अन्तिम किश्त के रूप में राज्यांश की अवशेष धनराशि रू0 84.73 लाख **(रू0 चौरासी लाख तिहत्तर हजार मात्र)** निम्नांकित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन आपके निवर्तन पर रखते हुए व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि का उपभोग पूर्व निर्धारित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन किया जायेगा तथा उक्त योजना हेतु भारत सरकार द्वारा निर्गत एमएसई-सीडीपी गाइडलाइन तथा समय समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों तथा उ0प्र0 शासन द्वारा समय समय पर निर्गत मार्ग-दर्शक सिद्धान्तों के अनुरूप किया जायेगा।

(2) परियोजना को अन्तिम स्वीकृति पत्र के दिनांक से 24 माह में पूरा कराया जायेगा। यदि परियोजना लागत में किसी प्रकार की वृद्वि होती है तो उसका वहन सम्बन्धित कार्यदायी संस्था (यू0पी0एस0आई0सी0,लि0 कानपुर) द्वारा किया जायेगा।

(3) उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण सक्षम अधिकारी की वास्तविक मांग तथा तुरन्त व्यय की आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा एवं उक्त धनराशि केवल उपर्युक्त स्वीकृत योजना पर ही व्यय की जायेगी। किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि अथवा उसके किसी अंश का उपयोग अन्य किसी मदों/अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु नहीं किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(4) योजना का कार्यान्वयन एवं व्यय के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 द्वारा निर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17-03-2023 तथा शासकीय व्यय में मितव्ययिता संबंधी वित्त विभाग द्वारा समय समय पर जारी किये गये सुसंगत शासनादेशों में उल्लिखित निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।
(5) प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का मदवार मासिक व्यय विवरण शासन के वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6 एवं शासन को प्रपत्र बी-एम-13 में पूर्णतया भरकर उपलब्ध कराया जायेगा।
(6) प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार (लेखा परीक्षा)1 एवं 2 उ0प्र0 प्रयागराज तथा शासन को धनराशि व्यय किये जाने के एक माह के भीतर अवश्य उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
(7) धनराशि का आहरण राजकोष से सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरांत नियमानुसार किया जायेगा ।
(8) किसी परिस्थिति में धनराशि को पूर्व से आहरित करके एकमुश्त बैंक खाते/अन्य किसी खाते में नहीं रखा जायेगा।
(9) उक्त कार्य पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान सं0-3 के अधीन लेखाशीर्षक-"2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-102-लघु उद्योग-01-केन्द्रीय प्रायोजित योजनायें-0103-लघु उद्योग क्लस्टर विकास योजना-27-सब्सिडी" (लेखाशीर्षक 15 डिजिट में 2851-102-01-0103-27) के नामे डाला जाएगा।
2- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-31/2023, दिनांक 17-03-2023 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अंतर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(दयाराम यादव)
अनु सचिव।

संख्या-862 (1)/18-4-2023, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा-1) सी0ए0एस0-3/टी0डी0ए0 कोआर्डिनेशन, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज/लखनऊ।
4- विकास आयुक्त, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, निर्माण भवन, 7वां फ्लोर मौलाना आजाद रोड, भारत सरकार, नई दिल्ली।
5- प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 लघु उद्योग निगम, लि0, कानपुर।
6- जिलाधिकारी जालौन ।
7- कोषाधिकारी, कानपुर/जालौन।
8- वित्त नियंत्रक उदयोग निदेशालय उ0प्र0, कानपुर।
9- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ ।
10-वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1/2, सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-3/ नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
11- संयुक्त सचिव (श्री अशोक कुमार तिवारी) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ0प्र0 शासन को ऑनलाइन बजट एलाटमेण्ट सिस्टम में प्रविष्टि हेतु ।
12-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(दयाराम यादव)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।